न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 295 / 2015

अनवान : –

1. डोली बनाम मंदिर ठाकुर जी महाराज जरिये पुजारी गंगा पत्नी स्व0 श्री लिखमाराम जाति ब्राहमण साकिन मेघाना तहसील नोहर हाल वार्ड न0 2 चुरू जतिजी की बगीची के पास चुरू।

– **वादीया**

बनाम्

1. बजरंगलाल पुत्र गोपाल राम जाति ब्राहमण साकिन मेघाना तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान
काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– 1. श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **वादी**
2. श्री हरिसिंह सिहाग अधिवक्ता **प्रतिवादी**

निर्णय दिनांकः 2/8/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीया ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता स0 11 / 103 के ख0न0 49 / 2 की 8.8140 हैक्ट व ख0न0 277 की 15.1500 हैक्ट, ख0न0 423 की 8.9160 हैक्ट, कुल 32.880 हैक्ट भूमि डोली बनाम मंदिर ठाकुरजी महाराज खातेदार दर्ज है। वादीया पुजारी की हैसियत से 1 / 8 हिस्सा भूमि काश्त करती है तथा मंदिर की देखभाल करती आ रही है एवं मंदिर की भूमि की आय से धुप दीप पुजा अर्चना पर खर्च करती है तथा मंदिर की सुधार व मरम्मत का कार्य किया जाता है। वादीया के परिवार के लोगो हमेशा से ही मंदिर श्री ठाकुर जी की पूजा करते आ रहे है। वादीया मंदिर ठाकुर जी के नाम दर्ज 32.8800 हैक्ट भूमि में से 1 / 8 हिस्सा भूमि काश्त करती आ रही है। उक्त वाद भूमि में प्रतिवादी न0 1, कब्जा काश्त वादीया में दखल देने की धमकी दे रहा है तथा वह अपने को रामकुमार पुत्र गणेशाराम जाति ब्राहमण बता कर उक्त वादग्रस्त भूमि में दखल देने की चेष्टा कर रहा है जबकि वह बजरंग लाल पुत्र गोपालराम जाति ब्राहमण साकिन मेघाना तहसील नोहर का व्यक्ति है तथा उसका मंदिर की जमीन से कोई सरोकार नही है।

डोली बनाम मंदिर ठाकुरजी एक शाश्वत नाबालिग है तथा उसकी भूमि को वादीया पूजारी की हैसियत से काश्त करती आ रही है एवं वृद्ध होने की वजह से चुरू अपने खोलायत पुत्र के साथ रहने लग गई है तथा उक्त भूमि को काश्त करवाती है। प्रतिवादी स01 का वादग्रस्त भूमि में कोई सरोकार नही है। प्रतिवादी स01 वादीया की कब्जा काश्त की 1 / 8 हिस्सा भूमि पर नाजायज कब्जा करने एवं उक्त भूमि काश्त नही करने देने के लिए बल पूर्वक

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:37:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रवेश करने की धमकी दे रहा है। अतः वादीया प्रतिवादी स0 1 को पाबंद करवाने के लिए स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने की अधिकारी है कि प्रतिवादी स0 1 वादीया को काश्त करने से न रोके एवं मौका की यथास्थिति बनायी रखी जावें।

वादीया ने कई मर्तबा प्रतिवादी स0 1 को कहा की वह डोली श्री मंदिर ठाकुर जी महाराज की भूमि जिसकी वादीया पूजारी की हैसियत से 1/8 हिस्सा काश्त करती है को प्रतिवादी स0 1 किसी प्रकार मदाखलत न करें एवं वादीया को काश्त करने से न रोके तो प्रतिवादी स0 1 कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करता रहा अन्त में इन्कार हो गया इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः दावा पेश कर निवेदन है कि की रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता स0 11/103 के ख0न0 49/2 की 8.8140 हैक्ट व ख0न0 277 की 15.1500 हैक्ट, ख0न0 423 की 8.9160 हैक्ट, कुल 32.880 हैक्ट भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि में डिक्री बहक वादीया बखिलाफ प्रतिवादी न0 1 इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें की प्रतिवादी स0 1 उक्त 1/8 हिस्सा भूमि वादीया के कब्जा काश्त में स्वयं या अपने आदमीयों द्वारा किसी प्रकार की मदाखलत बेजा न करें एवं उक्त वाद भूमि को वादीया को काश्त करने से नही रोके तथा मौका की यथास्थिति बनाए रखें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी स0 1 ने जरिये अधिवक्ता अर्जीदावा की मदो को अस्वीकार करते हुए जवाब दावा इस आशय का पेश किया की वादीया न तो मंदिर की सेवा करती है और न ही मंदिर की पुजारी है। वह अपनी लड़की के साथ चुरू रहती है तो मंदिर की सेवा पूजा करने का सवाल ही पैदा नही होता है। वादीया ने मद स0 3 में लिखा है कि मंदिर की सेवा पूजा तो प्रतिवादी स0 1 बजरंगलाल उर्फ रामकुमार पुत्र गोपाल ही करता है तथा इस डोली मंदिर की भूमि को काश्त करता है। वादीया उक्त भूमि में किसी भाग को काश्त नही करती है और नही मंदिर की पूजा करती है क्योंकि वादीया तो मंदिर से 150 किलोमीटर दूर कई सालों से चुरू रहती है। प्रतिवादी बजरंग उर्फ रामकुमार पुत्र गोपाल एक ही व्यक्ति के नाम है और वही इस मंदिर की सेवा पूजा करता है एवं बतौर पुजारी इस भूमि को मंदिर के हितार्थ काश्त करता है। मंदिर की भूमि में वादीया का कोई हक हिस्सा नही है क्योंकि मंदिर में बतौर पुजारी जो मंदिर श्री ठाकुर जी की सेवा पुजा करता है वही काश्त करता है। वादीया का इस भूमि में कोई हक हिस्सा कानूनन नही है। भूमि सिर्फ मंदिर की है तथा वादीया को कोई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नही है और न ही दावा पेश करने का अधिकार है। दावा अदालत के अधिकार क्षेत्र का नही है क्योंकि वादीया के वाद पत्र में कथित वाद के " पिथ एवं स्बस्टन्स" से स्पष्ट जाहिर है कि वादीया अपने आपको मंदिर का पुजारी होना घोषित करवाना चाहती है जो अनुतोष देना अदालत हाजा के अधिकार से बाहर है इसलिए दावा काबिल ख[illegible] है। वादीया मंदिर की भूमि पर किसी प्रकार का अनुतोष व निषेधाज्ञा मु[illegible] करने की अधिकारी नही है। दावा वादीया मय खर्चा खारिज फरमाया जावें। प्रतिव[illegible] स0 1 बजरंगलाल उर्फ रामकुमार जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:37:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (...)
नोहर (हनुमानगढ़)

गोपालराम ब्राहमण का लड़का है इसके एक भाई का नाम लिखमाराम था जो काफी अर्सा पूर्व फौत हो चुका था। उसकी औरत वादीया गंगा है इस लिखमाराम के एक लड़की थी चन्दा जिसकी शादी प्रतिवादी स0 1 ने ही की थी जो चुरू रहती है एवं फौत हो चुकी है। वादीया इसके पास अर्सा करीब चालीस साल से चुरू रहती है, इस मंदिर की पूजा प्रतिवादी स0 1 बतौर पुजारी गांव में रहकर ही करता आ रहा है। वादीया तो गांव मेघाना की सकूनत का परित्याग कर चुरू में निवास करती है। वही पर वादीया के सभी पहचान के दस्तावेज बने हुए है। वादीया ने बतौर पूजारी इस मंदिर की कभी भी सेवा पूजा नही की है एवं न ही कभी मंदिर की भूमि को काश्त किया है। वादीया ने यह झुठा दावा पेश किया है जो खारिज फरमाया जावें। वादीया इस भूमि की किसी श्रेणी की काश्तकार नही है। अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर अर्ज है कि वाद वादीया मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

प्रस्तुत वाद एवं जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकीआत कायम की गईः–

1. आया की वादीया को रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता स0 11/103 के ख0न0 49/2 की 8.8140 हैक्ट व ख0न0 277 की 15.1500 हैक्ट, ख0न0 423 की 8.9160 हैक्ट, कुल 32.880 हैक्ट भूमि में 1/8 हिस्सा भूमि में वादीया को काश्त करने से नही रोके मौका एवं यथास्थिति के आदेश फरमावें?

वादी

2. आया कि वादीया ने ग्राम मेघाना में अपनी सकुनत का 40 वर्ष पुर्व से ही त्याग कर दिया था जिसके कारण वादीया किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी नही है?

प्रतिवादी

3. आया की वाद भूमि डोल की भूमि है जिसकी वादीया के द्वारा कभी सेवा पूजा नही नही कि गई है न ही वादीया के द्वारा वाद भूमि को काश्त किया गया है?

प्रतिवादी

4. आया की वादीया क्लीन हैण्ड से न्यायालय में नही आई है वादीया किसी प्रकार का वाद न्यायालय में लाने की अधिकारी नही है?

प्रतिवादी

5. दादरसी

वादीया ने तनकीआत के समर्थन में प्रमाणित प्रतिलिपी नकल जमाबंदी सम्वत 2029 से 2038 रोही मौजा मेघाना, प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी सम्वत 2043 वाके रोही मौजा मेघाना, प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 रोही मौजा मेघाना खाता स0 11/103 डोली बनाम मंदिर ठाकुरजी मंदिर आदि पेश कियें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:37:27 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण ने तनकीआत के समर्थन में [illegible] वेजी सबूत में प्रमाणित नकल जमाबंदी सम्वत 2071–2074 रोही मौजा [illegible] ठाकुरजी ईएक्सडी–1, तस्दीक प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत मेघाना ईएक्सडी–[illegible] नकल मिलान क्षेत्रफल रोही मौजा मेघाना

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

ईएक्सडी–3, नकल सजरा खानदान पुजारीगण ईएक्सडी–4, प्रमाणित नकल खसरा गिरदावरी रोही मौजा मेघाना 2 प्रति ईएक्सडी–5 व 6 आदि पेश किये।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है:–

तनकी नम्बर 1 :– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीया पर था। विद्धान अभिभाषक वादीया ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया की वादग्रस्त भूमि रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता स0 11/103 के ख0न0 49/2 की 8.8140 हैक्ट भूमि डोली बनाम मंदिर ठाकुरजी महाराज खातेदार दर्ज है तथा वादीया उक्त वादग्रस्त भूमि में 1/8 हिस्सा भूमि काश्त करती है। वर्तमान जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वाद भूमि डोलीबनाममंदिर श्री ठाकुरजीमहाराज के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादी का किसी प्रकार का हक हिस्सा नही है सिर्फ मन्दिर का हक हिस्सा है उक्त के खंडन में वादीया द्वारा कोई भी दस्तावेज पेश नही किया गया है। जहा तक पुजारी कौन है, कौन नही को निर्णित करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय का नही होकर माननीय सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। तनकी न0 1 को वादीया साबित नही कर पायी है। अतः तनकी न0 1 का निर्णय खिलाफ वादीया किया जाता है।

तनकी नम्बर 2, 3 व 4 :– तनकी न0 2, 3 व 4 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी स0 1 पर था। तनकी न0 2, 3 व 4, तनकी न0 1 पर आधारित है। तनकी न0 1 का निर्णय विस्तृत विवेचन सहित किया जा चुका है। वर्तमान जमाबंदी के अनुसार समस्त वाद भूमि डोलीबनाममंदिर श्री ठाकुरजीमहाराज के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। पुजारी कौन है, कौन नही को निर्णित करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय का नही होकर माननीय सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है।

दादरसी। समस्त तनकीआत का निर्णय हो चुका है। अतः वाद वादीया खारिज किया जाता है। व्यय वाद उभयपक्ष वादीगण/प्रतिवादीगण स्वयं अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 21/8/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे इजलास सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:37:27 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 295/2015

अनवान : –

1. डोली बनाम मंदिर ठाकुर जी महाराज जरिये पुजारी गंगा पत्नी स्व0 श्री लिखमाराम जाति ब्राहमण साकिन मेघाना तहसील नोहर हाल वार्ड न0 2 चुरू जतिजी की बगीची के पास चुरू।

– वादीया

बनाम्

1. बजरंगलाल पुत्र गोपाल राम जाति ब्राहमण साकिन मेघाना तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 295 सन 2015 निर्णय दिनांक.....2/8/23

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीया श्री विजयसिंह कड़वासरा व वकील प्रतिवादी श्री हरिसिंह सिहाग की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीया खारिज किया जाता है।

व्यय वाद उभयपक्ष वादीया/प्रतिवादीगण स्वयं अपना अपना वहन करेगें। यह पर्चा डिक्री आज दिनांक .....2/8/23..... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:37:27 IST
Reason: SelfAttested